



# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

8 ज्येष्ठ, 1947 (श०)

संख्या - 241 राँची, गुरुवार,

29 मई, 2025 (ई०)

#### कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

#### अधिसूचना

28 अप्रैल, 2025

**संख्या-6/पेंशन 1-49/2014 (खण्ड) का. 2398--स्व० सरयू प्रसाद चौधरी, भूतपूर्व झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक 197/03) झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी थे। सहायक निदेशक, आदिवासी कल्याण आयुक्त का कार्यालय, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापन अवधि में श्री चौधरी की मृत्यु दिनांक 31.08.2005 को हो गई ।**

2. स्व० चौधरी के आश्रिता पत्नी श्रीमती जयलता चौधरी के द्वारा अपने स्वर्गीय पति स्व० सरयू प्रसाद चौधरी के सेवान्त लाभों के भुगतान, प्रथम कालबद्ध प्रोन्नति तथा द्वितीय सुनिश्चित वृत्तीय उन्नयन की स्वीकृति तथा उनके सेवा अवधि में कतिपय अवधियों के वेतन भुगतान के संबंध में याचिका W.P.(S) No. 5284/2008 दायर किया गया ।

3. उक्त वाद में दिनांक 25.05.2009 को पारित न्यायादेश के आलोक में विभागीय पत्रांक 4819 दिनांक 16.08.2011 के द्वारा स्व० चौधरी को पूर्ण पेंशन एवं उपदान की स्वीकृति तथा विभागीय पत्रांक 7679 दिनांक 27.11.2007 द्वारा स्व० चौधरी को मृत्यु की तिथि तक देय अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के समतुल्य नगद राशि के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई ।

4. स्व० चौधरी का विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं रहने, सेवा संपुष्ट नहीं रहने तथा उनके विरुद्ध अभियोजन स्वीकृत रहने के कारण विभागीय आदेश संख्या 4821 दिनांक 16.08.2011 द्वारा स्व० चौधरी के प्रथम कालबद्ध प्रोन्नति तथा द्वितीय सुनिश्चित वृत्तीय उन्नयन को अस्वीकृत किया गया।

5. विभागीय आदेश संख्या 4817 दिनांक 10.08.2011 द्वारा स्व० चौधरी के सेवावधि से संबंधित निम्नांकित अनुपस्थित अवधियों पेंशन एवं उपादान के भुगतान के प्रयोजनार्थ गणना हेतु झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 236 के तहत असाधारण अवकाश के रूप स्वीकृत करने का आदेश दिया गया :-

- (i) दिनांक 01.11.1999 से 07.06.1999 (आदेश में 01.11.1999 के स्थान पर 01.01.1999 होना चाहिए)
- (ii) दिनांक 27.03.2002 से 16.05.2002 तक
- (iii) दिनांक 01.12.2002 से 24.10.2003 तक
- (iv) दिनांक 01.07.2004 से 31.08.2005 तक

6. झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 236 में निम्नलिखित प्रावधान निर्धारित है:-

"असाधारण छुट्टी सरकारी सेवक को विशेष स्थितियों में दी जा सकती है-

- (1) जब इन नियमों के अधीन कोई दूसरी छुट्टी अनुमान्य न हो
- (2) दूसरी छुट्टी अनुमान्य होने पर जब संबद्ध सरकारी सेवक असाधारण छुट्टी के लिए लिखित आवेदन करे।"

7. विभागीय कार्यालय आदेश संख्या 259 दिनांक 15.12.2011 द्वारा स्व० चौधरी के सेवावधि से संबंधित निम्नांकित अवधियों के वेतन भुगतान का आदेश वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग द्वारा निर्गत वेतन पुर्जा के आधार पर करने का आदेश दिया गया:-

- (i) दिनांक 09.12.1998 से 31.12.1998
- (ii) दिनांक 24.08.2000 से 28.10.2000 तक
- (iii) दिनांक 17.05.2002 से 15.07.2002 तक

8. उल्लेखनीय है कि श्रीमती जयलता चौधरी के द्वारा विभागीय आदेश संख्या 4821 दिनांक 16.08.2011 द्वारा याचिकाकर्ता के पति स्व० चौधरी के सुनिश्चित वृत्तीय उन्नयन को अस्वीकृत संबंधी आदेश को रद्द करने तथा उनके सेवा अवधि में कतिपय अविनियमित अवधि के लिए स्वीकृत असाधारण अवकाश के वेतन भुगतान हेतु याचिका W.P.(S) No. 1537/2015 दायर की गई।

9. W.P.(S) No. 1537/2015 में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 18.06.2021 को पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत है:-

"16. So far as the second issue is concerned with regard to treating of some period as extra ordinary leave by the respondent, it appears that the order dated 16.08.2011, whereby some periods have been taken as extra ordinary leave is passed in the year 2011 i.e after six years of the death of the petitioner's husband. From the impugned order, it further transpires that the period which has been treated as extra ordinary leave starts from 01.01.1999 to 07.06.1999, from 27.03.2002 to 16.05.2002. from 30.11.2002 to 24.10.2003 and 01.07.2004 to 31.08.2005. Most of the period was prior to two years from the death of the petitioner's husband; as such the respondents were at liberty to take a decision for treating the period of leave during the life time of the petitioner's husband.

17. It is unheard that after death of an employee his service period has been declared as extra ordinary leave in a subsequent proceeding. As aforesaid, the respondents could have easily taken a decision for treating the period of leave within the life time of the petitioner's husband after hearing him. But after six years; that too after filing of the writ application by the widow of the deceased-employee; the respondents came with a decision dated 16.08.2011 (Annexure-4) by treating this period as extra ordinary leave which cannot be accepted in the eye of law; as such that part of the order is quashed and set aside.

18. The concerned respondent is directed to recalculate the consequential financial benefits of that part which has been earlier taken as extra ordinary leave by treating it as regular service. It goes without saying that since the matter is very old, the respondent no.2 shall take a final decision within a period of four months from the date of receipt/ production of copy of this order."

10. W.P.(S) No. 1537/2015 में दिनांक 18.06.2021 को पारित न्यायादेश के विरुद्ध विभाग द्वारा LPA No. 487/2022 झारखण्ड राज्य बनाम राहुल शंकर दायर किया गया, जिसमें दिनांक 13.08.2024 को पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत है:-

"16. In view of the reasonings which have been assigned by the learned Single Judge by allowing a part of the prayer of the original writ petitioner with respect to extraordinary leave, we do not find any reasons to interfere with the impugned order dated 18.06.2021 passed in W.P. (S) No. 1537 of 2015 and consequently, we dismiss this appeal"

11. झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 180 (ख) के अनुसार छुट्टी मंजूर करने वाला प्राधिकारी बिना छुट्टी के अनुपस्थिति के कालावधि को भूतलक्षी प्रभाव के साथ असाधारण छुट्टी में रूपांतरित कर सकते हैं। साथ ही, झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम 104 के अनुसार पेंशन मंजूर करने वाला प्राधिकारी बिना इजाजत अनुपस्थिति के अवधि को भूतलक्षी प्रभाव से भत्ता रहित छुट्टी में रूपांतरित कर सकते हैं।

12. उपर्युक्त वर्णित स्थिति में LPA No. 487/2022 में दिनांक 13.08.2024 को पारित न्यायादेश के आलोक में झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 180 (ख) एवं झारखण्ड पेंशन नियमावली नियम 104 के प्रावधानों को शिथिल करते हुए विभागीय आदेश संख्या 4817 दिनांक 16.08.2011 को विलोपित करने तथा निम्नांकित अवधियों को कर्तव्य अवधि के रूप वेतन भुगतान के साथ विनियमित करने का निर्णय लिया गया है :-

- (i) दिनांक 01.01.1999 से 07.06.1999 तक
- (ii) दिनांक 27.03.2002 से 16.05.2002 तक
- (iii) दिनांक 30.11.2002 से 24.10.2003 तक
- (iv) दिनांक 01.07.2004 से 31.08.2005 तक

-इसे पूर्वोद्धारण नहीं समझा जाएगा।

13. उक्त प्रस्ताव पर राज्य मंत्रिपरिषद् की दिनांक 08.04.2025 को सम्पन्न बैठक में मद संख्या-04 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**प्रदीप कुमार पासवान,**  
सरकार के अवर सचिव ।

-----